(नियम 25)
...निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) श्री गंगानगर।

2024/202

ऑन लाईन नं.GCMS 2024/202

**न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना, आर.ए.एस.**
**न्याय निर्णयन आवेदन सं0 60/2024**

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता —मालिक व विक्रेता —
   **मै0 अनिल एंड कंपनी, नोहरा नं. 111, पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर।**
2. श्री गौरव कुमार रमनीकलाल रहेवासी पुत्र श्री रमनीकलाल मनीलाल रहेवासी(प्रो.) निवासी ए—503 सत्यम स्टेटस, बोरीसाना रोड, कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात
   **मै. भूमि फूड प्रोडक्टस, नवो ब्लॉक, वाडास्वामी, त. कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात।**

**अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा**
**एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51**

**निर्णय** **दिनांक : 10.01.2025**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन कमांकः—प.5(01)चि.स्वा./ग्रुप—3/2023 दिनांक 01.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—आयुक्ता0/ खासुऔनि /संस्था/2024/660 दिनांक 16.03.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.03.2024 को समय 04.20 पीएम बजे **मै0 अनिल एण्ड कंपनी, नोहरा नं. 111 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता** (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ **घी (भूमि ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने 30 कार्टुन के अंदर 1556 पीस (1—1 लीटर के 285 पीस, 200 एमएल के 375 पीस, 100 एमएल के 900 पीस) को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया। मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **घी(भूमि ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

बनाम

मैसर्स अनिल एण्ड कम्पनी, नोहरा नम्बर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **घी(भूमि ब्राण्ड)** में से 1–1 लीटर के मूल चार शील्ड जार पैक को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **घी(भूमि ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 1340/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी(भूमि ब्राण्ड)** को मूल चार जार पैक कर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2244** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2244** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना लेने के पश्चात् शेष माल को सीजर मेमो 2 को तैयार कर सीज किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–L.S./408/Act/2024/408 Dated 09-04-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2244 Unsafe & Sub-Standard Food** होना पाया गया। **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विक्रेता व मालिक)** को जांच की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से अंसतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जाचं हेतु **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विक्रेता व मालिक)** ने आवेदन प्रस्तुत किया। रैफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट सं. RFL/P/DO-274/24/359/2024 Dated 06-06-2024 में खाद्य पदार्थ का नमूना **Sub-**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

**Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विक्रेता व मालिक), मै0 अनिल एण्ड कंपनी, नोहरा नं. 111 के गोदाम न.55 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर और श्री गौरव कुमार रमनीकलाल रहेवासी पुत्र श्री रमनीकलाल मनीलाल रहेवासी(प्रो.), मै. भूमि फूड प्रोडक्टस, नवो ब्लॉक, वाडास्वामी, त. कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात** द्वारा अमानक स्तर का **घी(भूमि ब्राण्ड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मकान नं. 04 सी 8 जवाहरगनर, श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. अनिल एण्ड कंपनी दुकान नोहरा नं. 111 के गोदाम नं. 55, पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/1939 दिनांक 03.12.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में देसी घी की जांच की गई तो देसी घी सब स्टेडंर्ड फूड होना पाया गया। प्रार्थी ने उक्त देसी घी में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी(भूमि ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-2244** जांच रिपोर्ट सं. RFL/P/DO-274/24/359/2024 Dated 06-06-2024 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त देसी घी में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee" bearing Code No and Sr. No. K-2244, does not conforms to the standards of Proprietary Food, as per Regulation No. 2.12.1 & Food Category System No.1.7 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be Sub-standard as per section 3 (1) (zx) of Food Safety & Standards Act 2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विकेता व मालिक), मै0 अनिल एण्ड कंपनी, नोहरा नं. 111 के गोदाम न.55 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर और श्री गौरव कुमार रमनीकलाल रहेवासी पुत्र श्री रमनीकलाल मनीलाल रहेवासी(प्रो.), मै. भूमि फूड प्रोडक्टस, नवो ब्लॉक, वाडास्वामी, त. कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाए जाते हैं। फलतः अभियुक्त **श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता (विकेता व मालिक), मै0 अनिल एण्ड कंपनी, नोहरा नं. 111 के गोदाम न.55 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर और श्री गौरव कुमार रमनीकलाल रहेवासी पुत्र श्री रमनीकलाल मनीलाल रहेवासी(प्रो.), मै. भूमि फूड प्रोडक्टस, नवो ब्लॉक, वाडास्वामी, त. कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये **10,000/– (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर